न्यायालय आ० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 376/18 तारीख रजू 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का 605 बनाम श्री शिवदयाल पुत्र भूरसिंह जाति भाट निवासी शेखावाड़ा तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री शिवदयाल ने ग्राम शेखावाड़ा को भूमि ख.न. 560 रकबा 0.01 किस्म गै०मु०रास्ता फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 सरसों में कास्त कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नही आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया अतिक्रमी के विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है। अत : अतिक्रमी के विरूध्द कार्यवाही किया जा उचित है

अत: आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 560 रकबा 0.01 किस्म गै०मु०रास्ता वाके ग्राम शेखावाड़ा से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 8.32 रु 50 गुणा 16 रु शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल सरसों को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~जप्त~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 120 पर
वर्ष 2017-18 में पेनल्टी/जुर्माना नीलामी
की राशि तावानी रुपये 16 रु नं०
की जमा कायमी की गई ।
दिनांक 15/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा

आ० तहसीलदार महवा
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)